::कार्यालय ज्ञाप::

इस कार्यालय के आदेश संख्याः 711/9–01 (2013–14) दिनांक 14 नवम्बर, 2013 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग की आम जनता की सुविधा हेतु प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को अथवा सोमवार को अवकाश होने की दशा में आगामी कार्यदिवस में मुख्य बाजार स्थित विकास भवन में कलक्ट्रेट का कैम्प आयोजित करने के आदेश पारित किये गये थे।

अवगतनीय है कि दिनांक 26.01.2016 से स्थान बेला (खुरड) स्थित नव निर्मित विकास भवन का लोकापर्ण होने के फलस्वरूप विकास भवन में ग्राम्य विकास विभाग सहित अन्य कई विभाग नियमित रूप से संचालित हो गये हैं।

अतः आम जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नानुसार कैम्प कार्यालय आयोजित किया जायेगा–

1– **प्रत्येक सोमवार को** ***बेला (खुरड) स्थित नव निर्मित विकास भवन में।***

2– **प्रत्येक शुक्रवार को** ***मुख्य बाजार स्थित पुराने विकास भवन में।***

निर्धारित दिवसों में अवकाश होने की दशा में आगामी कार्यदिवस को कलक्ट्रेट का कैम्प आयोजित किया जायेगा।

Raghav/

(डॉ0 राघव लंगर)
आई.ए.एस.,
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय : जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

संख्याः 1766/09–01 /(2013–14) दिनांकः 03 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि–

1. स्टॉफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ।
2. मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद उत्ताखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को सूचनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रत्येक सोमवार को नव निर्मित विकास भवन एवं प्रत्येक शुक्रवार को मुख्य बाजार स्थित पुराने विकास भवन में समस्त आवश्यक व्यवस्थायें यथा; टेलीफोन (मय इण्टरकॉम), स्टॉफ के बैठने हेतु फर्नीचर इत्यादि समुचित व्यवस्थायें सुनिश्चित कराते हुए कार्यालय ज्ञाप की एक प्रति दोनों कार्यालयों के सूचना पट्टों पर नियमित रूप से चस्पा करवाना सुनिश्चित करें।
5. प्रभारी अधिकारी, संयुक्त कार्यालय, जिला कार्यालय, रुद्रप्रयाग को पूर्व प्रेषित आदेश/कार्यालय ज्ञाप के कम में अनुपालनार्थ प्रेषित।

6. उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग / ऊखीमठ / जखोली / बसुकेदार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप का अपने–अपने सब डिविजन में व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार करते हुए, एक प्रति कार्यालय के सूचना पट्टों पर नियमित रूप से चस्पा करवाना सुनिश्चित करें।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप का स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों, टी.वी. चैनलों में व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।
9. प्रधान नाजिर, जिला कार्यालय, रुद्रप्रयाग को पूर्व प्रेषित आदेश / कार्यालय ज्ञाप के कम में अनुपालनार्थ प्रेषित।

Raghav

जिलाधिकारी,

9/12 रुद्रप्रयाग।